;k=k HkÙkk fu;e
¼foRrh; gLr iqfLrdk [k.M&3½

यात्रा भत्ता से संबंधित नियम वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 में दियें गये है। पांचवे वेतन समिति की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये जाने के पश्चात शासनादेश संख्या सा– 4–395/ दस 99–600/99 दिनांक 11 जून, 1999 द्वारा यात्रा भत्ता की दरों को पुनरीक्षण हेतु आदेश जारी किये गये था। छठवें वेतन आयोग की संस्तुति पर उत्तराखण्ड भाासन के कार्यालय ज्ञाप 411/XXVII(7)/2010, दिनांक 2010 द्वारा दरों का पुनरीक्षित कर दिया गया है।

lkekU; fu;e %&

1. परिवार का तात्पर्य पति/पत्नी, वैधानिक बच्चों (गोद लिया गया बच्चा सहित), सौतेले बच्चों से हैं, जो सरकारी कर्मचारी के साथ रहते हो तथा उस पर पूर्ण रुप से आश्रित हों। स्थानान्तरण तथा अन्य सभी यात्रा के लिए सरकारी कर्मचारी के साथ रहने वाले तथा उस पर पूर्ण रुप से आश्रित उसके माता–पिता, अविवाहिता बहनें और अवस्यक भाई, भी परिवार में सम्मिलित है।

(नियम 6)

2. गोद ली गई सन्तान की बैध (धर्मज) सन्तान माना जायेगा, यदि शासकीय सेवक ने लागू वैधानिक विधि से गोद लिया हो। परन्तु शासकीय सेवक की उन धर्मज पुत्रियां, सौतेली पुत्रिया तथा बहनों को उस पर आश्रित नहीं माना जायेगा जिनका गौना या रुखसत हो चुका हो।
3. यात्रा भत्ता एक प्रतिकर भत्ता है। इसकों इस प्रकार विनियमित किया जाना चाहिए कि यह कुल मिलाकर प्राप्तकर्ता को लाभ का साधन न हो।
4. राजकीय सेवक को देय तिथि के एक वर्ष पश्चात यात्रा भत्ता के लिए प्रेषित दावा को कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

¼fu;e &74¼ch½fo0fu0l0 [k.M&5] Hkkx&1½

5. पूर्णगामी प्रभाव से पदोन्नति होने अथवा वेतन की दर में वृद्धि स्वीकृत किये जाने के कारण यात्रा भत्ता दावे का पुनरीक्षण अनुमन्य नही है।

¼ fu;e 12½

6. यात्रा प्रारम्भ तथा समाप्त होने के बिन्दु के लिए आधार निम्नवत होता है :–
   (क) यात्रा के प्रारम्भ व अन्त के स्थान पर यदि जिलाधिकारी का कार्यालय है और यात्रा के प्रारम्भिक बिन्दु अथवा अन्तिम विन्दु की दूरी रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन से 8 कि0मी0 से अधिक नही है, तो यात्रा का प्रारम्भ अथवा अन्त का स्थान जिलाधिकारी का कार्यालय माना जायेगा। यह दूरी परिशिष्ट पांच में प्रत्येक जिला मुख्यालय के लिए दर्शयी गयी है। दिल्ली में यथा स्थान उत्तरांचल निवास माना गया है।
   (ख) यदि उस स्थान में जिलाधिकारी का कार्यालय नही है अथवा/वास्तविक प्रारम्भिक/अन्तिम विन्दु (चाहे वह सरकारी सेवक का निवास स्थान हो अथवा कार्यालय हो) तथा रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन की दूरी 8 कि0मी0 से अधिक हो, तो यात्रा का प्रारम्भ व समाप्ति का स्थान ही वास्तव में यात्रा प्रारम्भ अथवा समाप्त करने का स्थान माना जायेगा।

¼ foRrh; gLr iqfLrdk [k.M&3]fu;e 14½

7. मुख्यालय से 8 कि0मी0 के अन्दर या नगर निगम की सीमा जो भी अधिक हो की गयी यात्राओं के लिए साधारणतः कोई यात्रा भत्ता देय नही होता है परन्तु फैरी, टोल या रेल भाडा आदि का वास्तविक व्यय लिया जा सकता है।

¼ foRrh; gLr iqfLrdk [k.M&3]fu;e 26½

8. एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण की दशा में सरकारी सेवक का वर्गीकरण उन दोनो में से निचले पद के संदर्भ में किया जाता है।

(foRrh; gLr iqfLrdk [k.M&3]नियम 19)

9. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को शासकीय कार्यवश यात्रा के लिए नियमित राजकीय सेवकों को देय दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता ग्राहय है। जिस माह में यात्रा की जाती है उसके लिए अन्तिम रुप सें देय दैनिक वेतन को यात्रा भत्ते की प्रदेयता हेतु आधार माना जायेगा।

(foRrh; gLr iqfLrdk [k.M&3]नियम – 21 सी)

2& fu%'kqYd okgu ls ;k=k djus ij vuqeU; ;k=k O;; %&

निःशुल्क वाहन से यात्रा करने पर सरकारी सेवक को नियमानुसार अनुमन्य दर पर आनुषंगिक व्यय निम्न शर्तो के अधीन देय है :–

1. उस दिन के लिए दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होता हों।
2. आनुषांगिक व्यय के धनराशि साधारण दर पर अनुमन्य एक दिन के दैनिक भत्ते से अधिक नहीं होगी,
3. ऐसी दशा में जहां अवस्थान आठ घंटे या उससे अधिक होता हो, वहां पर एक दिन का दैनिक भत्ता (उस स्थान के संदर्भ में) या आनुषंगिक व्यय (जिसकी धनराशि साधारण दर पर अनुमन्य एक दिन के दैनिक भत्ते से अधिक नही होगी) दोनों मे से एक को कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से ले सकता है। परन्तु किसी भी दशा में दैनिक भत्ता तथा अनुंषगिक व्यय दोनों अनुमन्य नहीं होगें।

3& lM+d fdyksehVj HkÙkk dh nj%&

जो स्थान रेल अथवा बस से जुडे है, वहां की यात्रा केवल रेल अथवा बस से ही की जानी चाहिये। इसके बावजूद कुछ स्थानों के बीच में रेल अथवा बस से यात्रा करना सार्वजनिक हित में नही होता है, जैसे समय की बचत अथवा रास्ते में कार्य का निरीक्षण आदि। ऐसी स्थिति में यदि नियंत्रक अधिकारी सन्तुष्ट हो कि ऐसी यात्रा शासकीय कार्य के हित मे थी तो राजकीय सेवक नियम–23 बी (2) के अन्तर्गत देय सडक भत्ता पाने का अधिकारी होगा। ऐसे मामलों में नियंत्रक अधिकारी बस के स्थान पर सडक से इस प्रकार की यात्रा किये जाने का कारण उल्लेख करते हुए यात्रा भत्ता बिल पर प्रमाण–पत्र देंगें।

(नियम – 14ए (3)तथा स्पष्टीकरण)

ऐसी यात्राओं के संबंध में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु सडक किलोमीटर भत्ते की निम्न दरें निर्धारित की गई :–

v& #0 10000%iqjkus osrueku ds vuqlkj% ifrekg ;k mlls vf/kd osru ikus okys ljdkjh lsod%&

क– मोटर कार, मोटर कैरियर या जीप / कार से की गई सड़क यात्राओं के लिए:–

रु0 प्रति कि0मी0

		iVksy pfyr okgu	Mhty pkfyr okgu
1	प्रथम 500 कि0मी0 तक तय की गयी दूरी के लिए	4.50	3.50
2	500 कि0मी0 से अधिक परन्तु 1200 कि0मी0 तक की गयी दूरी के लिए	3.25	2.75
3	1200 कि0मी0 (एक माह) से अधिक तय की गयी दूरी के लिए	———————— शून्य ————————	
(ख)	उपरोक्त (क) में वर्णित वाहनों के अलावा पेट्रोल / डीजल चालित अन्य वाहनों तथा मोटर साइकिल / स्कूटर इत्यादि से की गई सडक यात्राओं के लिए	रु0 2:00 प्रति कि0मी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिए रु0 400 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।	

(ग)	पेट्रोल /डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से पैदल की गई सडक यात्राओं के लिए	रु0 0:60 प्रति कि0मी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास मे ऐसी यात्राओं के लिये रु0 120 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।

c& #010]000¼ijku orueku d vu|lkj½ ifrekg l de oru iku oky ljdkjh lod ½&

(क)	पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के किसी भी साधन से की गई सडक यात्राओं के लिए	रु0 2:00 प्रति कि0मी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिए रु0 400 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।
(ख)	पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से पैदल की गई सडक यात्राओं के लिए	रु0 0:60 प्रति कि0मी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिए रु0 120 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।

यात्रा पर जाते समय तथा गन्तव्य स्थानों से वापसी में निवास स्थान से बस स्टेशन अथवा रेलवे स्टेशन के बीच की जाने वाली अल्प दूरी की यात्राओं के लिए समस्त शासकीय सेवको को रु0 4 प्रति कि0मी0 की दर से सडक कि0मी0 भत्ता ग्राहय होगा। इस प्रयोजन हेतु दूरी की गणना वित्तीय नियम संग्रह खण्ड –3 के नियम 14 सपठित परिशिष्ट –5 के आधार पर की जायेगी।

नियम – 23 (बी)(3)

fVIi.kh ½& प्रदेश के पर्वतीय स्थानों में यात्रा करने वाले शासकीय सेवक उपर्युक्त सडक किलोमीटर भत्ता दरों पर 33–1/3 प्रतिशत की वृद्धि पाने के हकदार। पर्वतीय स्थानों से तात्पर्य नियम –11–ए मतें उल्लिखित क्षेत्र से है।

नियम –23 (बी) (2) अपवाद–1

4& nfud HkÙkk

सरकारी सेवक को राजकीय कार्य से अपने मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थान पर 8 घन्टे या अधिक अवस्थान करने पर उस दिन के लिए नियम 27(ए)(ए)(11) तथा 27(बी)(1)ए(।।) के अधीन नियम 23 (सी) (।) में निर्धारित दर पर नियम –27 (डी) के उपबन्धों के अन्तर्गत दैनिक भत्ता ग्राहय होता है।

नियम –23 (सी)(1)

सरकारी सेवक को अवस्थान की अवधि में निःशुल्क भोजन व आवास दोनों सुविधा उपलब्ध होने पर दैनिक भत्ते की अनुमन्य दर1/4 की दर से तथा दोनों में से कोई एक सुविधा उपलब्ध होने पर अनुमन्य दर के लिए 1/2 की दर से दैनिक भत्ता ग्राहय होता है।

नियम –23 (सी)(घ)

नियम 23 बी 4 अपवाद

5& अपने चार्ज के सरकारी वाहन कार, जीप आदि से मुख्यालय से वाहर सडक द्वारा की गई यात्रा के लिए ड्राइवर आनुषंगित भत्ता पाने के लिए अधिकृत होंगें। मुख्यालय से कम से कम एक रात्रि की अनुपस्थिति में साधारण दर पर दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा। परन्तु प्रतिबध यह है कि ऐसी यात्रा में यदि मुख्यालय से बाहर किसी स्थान पर 8 घंटे अवस्थान शामिल हो तो इसे दैनिक भत्ते के स्थान पर उसके लिए नियम 27 (बी)–1ए –11 के अधीन दैनिक भत्ता लिया जा सकता है। स्थानीय यात्राओं के लिए कोई भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

नियम 29 अपवाद

7& nfud HkÙk dh vuqeU;rk e fo'k"k lfo/kk;½&

1. यात्रा के दौरान जब सामान्य रुप से उस तिथि/तिथियों के लिए दैलिक भत्ता अनुमन्य न हो तो शासकीय सेवक निम्न दशाओं में एक दिन का साधारण दर पर दैनिक भत्ता अनुमन्य होगाः–
   (क) शासकीय कार्यवश गन्तव्य स्थान पर पहुंच कर दो तिथियों में मिलकर 8 घंटे या उससे अधिक का रात्रि अवस्थान हुआ हो या

(ख) शासकीय सेवक को यात्रा के दौरान रात्रि में अगली बस, रेल या वायुयान की प्रतीक्षा में 4 घंटे या उसे अधिक अवस्थान करना पडे।

नियम –27(सी)(2)
शासकीय ज्ञाप सं. सा –4–1359 / दस –86–602 / 81, दिनांक : 30.8.86

8& nfud HkÙk dh vuqeU; vof/k %&

सरकारी सेवकों को मुख्यालय से बाहर प्रशिक्षण की अवधि में दैनिक भत्ता निम्न अवधि के लिए ग्राहय हैः–

1.	प्रथम 45 दिन तक	पूरी दर पर
2.	अगले 135 दिन तक	आधी दर पर
3.	कुल 180 दिन के बाद	शून्य

प्रशिक्षण के मामलों में प्रशिक्षण अवधि 180 दिन से अधिक होने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक को यह विकल्प होगा कि वह चाहे तो प्रशिक्षण अवधि में उपयुर्क्तानुसार दैनिक भत्ता ग्रहण करें अथवा केवल स्वंय के लिए स्थानान्तरण पर अनुमन्य भत्ता लें। स्थानान्तरण का यात्रा भत्ता ग्रहण करने की दशा में उसे प्रशिक्षण अवधि में कोई दैनिक भत्ता ग्राहय नही होगा।

नियम 27 (डी)(3)

सरकारी कार्यवश दौरे के सम्बन्ध में पूर्ववत् किसी स्थान पर अवस्थान के लिए 10 दिन तक ही पूरी दर पर दैनिक भत्ता देय है। दौरे की अवधि किसी स्थान पर 10 दिन से अधिक होने पर नियम 27 (डी) के अन्दर छूट दिये जाने पर ही दैनिक भत्ता प्रथम 30 दिन पूरी दर पर तथा 30 दिन पश्चात् 150 दिन तक आधे दर पर देय होगा। 180 दिन के पश्चात दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

नियम 27 (डी)

viokn%&

किसी स्थान पर अवस्थान की निरन्तरता तब तक बनी रहती है जब कि वह 8 कि0मी0 से दूरस्थ स्थान पर 5 दिन से अधिक की अवधि के अवस्थान द्वारा भंग न हुई हो।

यदि सरकारी सेवक अवकाश पर गया हो तो निरन्तरता तब तक भंग नही मानी जायेगी जब तक अवकाश पर अनुपस्थिति की अवधि 14 दिन से अधिक न हो।

नियम 27(डी) नोट–2 तथा 2ए

LFkkukUrj.k ;k=k HkÙkk

1- ,d eq'r LFkkukUrj.k vuqnku ¼dEikftV VªkUlQj xzkUV½

कॉम्पोजिट ट्रांसफर ग्रान्ट प्रदेश के शासकीय सेवकों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने की दशा में देय होगा तथा इसमें अब तक मिल रहे पैंकिग भत्ता, आवास से रेलवे स्टेशन / बस स्टेशन के लिए सडक मील भत्ता एवं सरकारी सेवकों तथा उसके परिवार के सदस्यों को स्थानान्तरण पर यात्रा की दशा में मिलने वाले आनुषंगिक व्यय को समाहित माना जायेगा अर्थात कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रान्ट अनुमन्य होने पर उपरोक्त भत्ते देय नहीं होगा।

यदि यात्रा स्वंय अकेले की गई हो :–

यदि स्थानान्तरण के अवसर पर सरकारी सेवक ने स्वंय ही अकेले यात्रा की हो, तो उस स्थिति में उल्लिखित भार के 2 / 3 भाग तक की अधिकतम सीमा तक के व्यक्तिगत समान की ढुलाई का व्यय ही देय होगा।

यदि कोई सेवक उपरोक्त मात्रा से अधिक सामान सस्ते मार्ग से ले जाता है अथवा मालगाडी के स्थान पर यात्री गाडी अथवा ट्रक से ले जाता है, तो वह उपरोक्त मात्रा को मालगाडी से ओनर्स रिस्क पर सामान्य मार्ग से ले जाने के लिए देय धनराशि की सीमा तक उसके द्वारा किया गया वास्तविक व्यय अनुमन्य होगा।

नियम –42(2)(1)

4& okgu dk ifjogu %&

उपरोक्त मात्रा तक सामान ढोने के व्यय के अतिरिक्त वाहन रखने का पात्र शासकीय सेवक मोटर कार, स्कूटर/मोपेड/साइकिल को रेल से ओनर्स–रिस्क पर ले जाने के वास्तविक व्यय (कार के लिए ड्राइवर के यात्रा व्यय सहित) की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है । मालगाडी से जाने की दशा में वह पैंकिग चार्जेज तथा पुराने स्थान तक तथा नये स्थान पर स्टेशन से घर तक ले जाने का व्यय आहरित कर सकता है, परन्तु वह कुल धनराशि उस वाहन की यात्री गाडी से ले जाने के लिए देय धनराशि से अधिक नही होगी।

नियम–42(2)(1)(1) तथा टिप्पणी–2

शासकीय सेवक यदि वाहन को रेल से जुडे दो स्थानों के मध्य सडक से ढोता है तो वह वास्तविक ढोलन व्यय को रेल से ओनर्स रिस्क पर ढोने की दशा में अनुमन्य धनराशि की अधिकतम सीमा के अधीन प्राप्त कर सकता है, परन्तु मोटर कार/मोटर साईकिल/मोपेड को उसकी अपनी शक्ति से चलाकार सडक द्वारा ले जाता है तो क्रमशः 35 पैसे तथा 15 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से परिवहन व्यय आहिरत कर सकता है। यदि वे स्थान रेल द्वारा नहीं जुडे हो तों उपरोक्त 35 पैसे तथा 15 पैसे प्रति कि0मी0 की दर सीमा तक सडक से ले जाने का वास्तविक व्यय आहरित कर सकता है।

नियम–42(2) (1) तथा (2)

5& futh lkeku dh LFkkuh; <ykbZ %&

निजी सामान की स्थानीय ढुलाई के लिए ठेले व्यय के स्थान पर अब निजी सामान के परिवहन हेतु मालगाडी से स्वंय के जोखिम पर अनुमन्य ढुलाई व्यय का 25 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय अनुमन्य होगा।

नियम 42(2)(11)(111) तथा (1)

यह आवश्यक नहीं है कि राजकीय सेवक के परिवार के सदस्य उसके साथ यात्रा करें तथा निजी सामान और वाहन उसके साथ ले जायें। यदि वह उसके कार्यभार से मुक्त होने की तिथि से एक माह से अनाधिक अवधि पूर्व अथवा बारह माह से अनधिक अवधि के पश्चात ले जाये जाते है तो उनके लिए यात्रा/यातायात व्यय का भुगतान देय है।

नियम 42(2)(11) टिप्पणी–2

vLFkk;h LFkkukUrj.k %&

अस्थायी स्थानान्तरण का अर्थ 180 दिन से अनाधिक अवधि के लिये किये गये स्थानान्तरण से है। ऐसे स्थानान्नतरण के लिए मुख्यालय से अस्थायी स्थानान्तरण के स्थान (अस्थायी मुख्यालय) को जाने तथा वहां से मुख्यालय वापस आने के लिए की गई यात्रा दौरे पर की गई यात्रा समझी जायेगी तथा राजकीय सेवक उनके लिए यात्रा भत्ता नियमें के अधीन सामान्य दर पर माइलेज तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होगें। इस प्रकार के मामले में कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य नही होगा। वास्तविक समय दौरे की यात्रा की भांति अनुमन्य होगा।

नियम 42(2) टिप्पणी –21

ifrgLrk{kj dju dk vf/kdkj %&

शासन की स्पष्ट अनुमति के बिना नियंत्रक अधिकारी यात्रा बिल पर प्रति हस्ताक्षर करने का अधिकार किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनिधायन नहीं कर सकते ।

नियम (91)

mRrjk[k.M 'kklu d dk;kZy; Kki l[;k 78@**XXVII**¼7½@2009] fnukd 01 ekpZ] 2009 rFkk dk;kZy; Kki l[;k 411 **XXVII**¼7½@2010] fnukd 06 tuojh] 2010 d }kjk NBo oru vk;ksx dh lLrqfr in ;k=k HkRrk dh njksa dk iujh{k.k fd;k x;k gS ¼Dyhd djsa½

mÿkjkpy 'kklu
foÿk vuHkkx&3

संख्या–1422गगअपप(3)स्था.या.भ./2004

लखनऊ : दिनांक 27 अक्टूबर, 2004

dk;kZy; Kki

fo"k;& vf[ky Hkkjrh; lsok d vf/kdkfj;k d fy, ,d e'r LFkkukUrj.k vunku d fo"k; e 0;oLFkkA

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के केन्द्र सरकार से राज्य सरकार में आने पर यदि अन्यथा नियमों में व्यवस्थाा न की गई हो, तो राज्य सरकार के स्थानान्तरण यात्रा भत्ते के नियम लागू होने की व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (सामान्य) अनु–4 के कार्यालय ज्ञाप सं0–सा–4–395/दस–99–600/99 दिनांक 11 जून, 1999 के बिन्दु 11(ब) में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने की दशा में कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रान्ट के रूप में सम्बन्धित सरकारी सेवक को आधे माह के मूल वेतन, अधिकतम रू0 10,000/= की सीमा के अधीन धनराशि अनुमन्य की गई है, लेकिन अन्य प्रदेश से अथवा भारत सरकार में प्रदेश के अन्दर आने वाली यात्राओं के विशय में कोई स्पश्ट नहीं है।

अतः इस सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेश परिस्थितियों में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के भारत सरकार या अन्य राज्यों से आने एवं जाने पर भारत सरकार में लागू स्थानान्तरण यात्रा भत्ता की दरें अनुमन्य करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11 जून, 1999 के एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण यात्रा भत्ते के नियम लागू रहेंगे तथा उक्त सीमा तक स्थानान्तरण यात्रा भत्ता सम्बन्धी भुगतान संशोधित समझा जाय, परन्तु जिन प्रकरणों में भुगतान किया जा चुका है उसे पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

राधा रतूड़ी
सचिव।